दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

निगरानी समिति एवम मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुई एफआई आर-आशुतोष पांडेय

होम कोरोनटाइन व्यक्तियो को अवधि पूर्ण पहले घूमना पड़ा महंगा, मामला हुआ दर्ज

न्यायसाक्षी / रायगढ़

जिला कलेक्टर भीम सिंग के आदेशानुसार कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन पूरी ईमानदारी एवम एहतियात से करने कहा गया है बाहर से आने वालो की जानकारी,होम कोरोनटाइन में रहने वालों की जानकारी पुख्ता रखने निर्देशित किया साथ ही नियमो के उल्लंघन करने वालो पर कड़ी कार्यवाही के आदेश किये गए है उसी तारतम्य में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कोरोनटाइन किया हुआ व्यक्ति श्रवण कुमार घर से निकल कर बाहर घूमते हुए लोकेशन पाया गया। कोविड-19 दिशा-निर्देश के तहत नगर निगम रायगढ़ द्वारा श्रवण कुमार,मित्तल ट्रेडर्स के बगल भोले गली पुल के पास रहता है जिसे होम कोरोनटाइन किया गया है तो अमरजीत शर्मा पिता जगन्नाथ शर्मा खैरपुर कोतरारोड को भी होम कोरोनटाइन किया गया है

जिस की मानिटरिंग नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के निर्देशन में टीम मोबाइल एप के द्वारा की जा रही है जिसमें श्रवण कुमार का लोकेशन घर के बाहर दिखा रहा था मोबाइल से संपर्क करने पर इनके द्वारा बताया गया कि वह खाना और नाश्ता के लिए बाहर जाते है साथ ही नगर निगम के सहा. राजस्व अधिकारी एवम निगरानी समिति के सदस्य ने सूचना दिया ,एवम दीनबंधु सिदार रोजगार सहायक के पद के साथ निगरानी समिति में सदस्य भी है के सूचना तत्पश्चात निगम आयुक्त के आदेश से संबंधित व्यक्ति का प्रथम प्रतिवेदन सूचना थाने में दिया गया ।

ज्ञात हो कि होम कोरोन टाइन में रहने वाले ब्यक्ति अब सावधान हो जाएं जिला कलेक्टर भीम सिंग के आदेशानुसार निगम आयुक्त

आशुतोष पांडेय ने होम कोरोनटाइन में रहने वाले ब्यक्तियों के लिये निगरानी समिति के साथ ऑनलाइन निरीक्षण भी करा रहै है जो अवधि पूर्ण से पहले बाहर आने वालो पर कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

कलेक्टर के आदेश क्रमांक 10173/ न्या.लि./ कोरोना सेल/ 2020 रायगढ़ दिनांक 02-07-2020 के अंतर्गत होम कोरोनटाइन में रहने वाले व्यक्ति के ऑनलाइन निगरानी के लिए नगर निगम के डाटा सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही निगरानी समिति के अफ्सरो की ड्यूटी लगाई गई है इसी कड़ी में आज नगर पालिक निगम रायगढ़ के सहायक राजस्व अधिकारी हरिकेशवर लकड़ा जो ष्थ1द्धस्त्र-19 से निगरानी समिति के सदस्य भी हैं ने अपने शिकायत पत्र में श्रवण कुमार पता कार्मेल स्कूल के पास केस नंबर 600 जो मुंबई से रायगढ़ आया जिसे शासन के नियमानुसार 14 दिन होम कोरोनटाइन में रखा गया था एवं हिदायत दिया गया कि दिनांक 05-07/2020 से 20/07/2020 तक कोरोनटाइन की अवधि है नियमानुसार सेंटर से बाहर ना निकले किंतु श्रवण कुमार द्वारा कोविड-19 का पालन न करते हुए बाहर घूमते हुए तथा शासन के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

रोका-छेका में लापरवाही बरतने पर दो जोन कमिश्नरों को शो-काज नोटिस जारी

रायपुर(आरएनएस)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोका-छेका अभियान के तहत कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा रायपुर नगर निगम के दो जोन कमिश्नरों को शो-काज नोटिस जारी किया गया है। जोन क्रमांक-3 के जोन कमिश्नर प्रवीण सिंह गहलोत और जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर विनय मिश्रा को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। पत्र में नगर निगम रायपुर के आयुक्त को विशेष अभियान चलाकर रोका-छेका अभियान में प्रगति लाने तथा नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए है। पत्र में यह भी कहा गया है कि रोका-छेका अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष अभियान चलाकर सभी आवारा पशुओं को गौठान भेजने तथा पशु पालकों को सख्त निर्देशों के साथ शुल्क वसुलने की कार्यवाही की जाए।

छत्तीसगढ़ में 65 और नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले, 42 डिस्चार्ज भी हुए

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 65 और नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई, जिसमें सर्वाधिक 36 मरीज रायपुर जिले में मिले है। जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 810 पहुंच गई है। हालांकि आज 42 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज रात 8 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में आज कुल 65 और नये पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है, इनमें जिलावार क्रमशः 36 रायपुर से, बस्तर 09, बिलासपुर 06, कोरिया 04, सरगुजा 03, कोरबा व नारायणपुर में 02-02 तथा धमतरी, दुर्ग व कांकेर से 01-01 मरीज की पहचान की गई है। इन मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 3897 पहुंच गया है, जिनमें आज 42 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ अब तक कुल 3070 मरीज स्वस्थ होकर अपने-अपने घर लौट चुके है, वहीं कोरोना संक्रमित 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 810 है।

राज्य में ई-लोक अदालत के माध्यम से 2270 मामलों का हुआ निराकरण

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य में ई-लोक अदालत के माध्यम से आज 2270 प्रकरणों का निराकरण किए जाने के साथ ही 43 करोड़ 72 लाख 86 हजार 902 रूपए की सेटलमेंट राशि पारित की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां अदालतों में लंबित मामलों के निराकरण के लिए पहली बार ई-लोक अदालत का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचन्द्र मेनन ने आज ई-लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस मनीन्द्र मोहन वास्तव, जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं अन्य न्यायधीशगण, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला, रजिस्ट्रार सीपीसी शहाबुद्दीन कुरैशी उपस्थित थे। पक्षकारों के मामलों की सुनवाई और उसका निराकरण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में ई-लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए 23 जिलों में कुल 195 खंडपीठे स्थापित की गई थी। इन खंडपीठों के माध्यम से कुल 2270 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण हुआ और 43 करोड़ 72 लाख 75 हजार 902 रूपए की सेटलमेंट राशि पारित की गई।

दुर्ग जिले में कुल 294 प्रकरण हुए निराकृत

दुर्ग(आरएनएस)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा आज दिनांक-11 जुलाई 2020 को देश के पहले ई-लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ हुए कार्यक्रम को श्री रामजीवन देवांगन कार्यवाहक जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देश पर न्यायाधीशगण विडियो कान्फ्रेसिंग रूप में उपस्थित हुए। पहले ई-लोक अदालत के गठित खण्डपीठ की जानकारी एवं लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों की जानकारी पक्षकारों/अधिवक्ताओं को दूरभाष पर दी गई। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को न्यायालय में बिना उपस्थित हुए जिटसी एप एवं अन्य एप के माध्यम से खंडपीठ क पीठासीन अधिकारी से जोड़कर आपसी सहमती से प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया।

पीडीएस कोटे के चावल की तस्करी करते व्यवसायी पकड़ाया मामला दर्ज

न्यायसाक्षी / रायगढ़

जूटमिल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खरसिया का एक नामी व्यवसायी बड़े पैमाने पर शासकीय वितरण (पीडीएस) के कोटे के चावल को जूटमिल चौकी क्षेत्र के अंतगज़्त आने वाले सहदेवपाली गांव के किसी बड़े राइस मिलर को खापने के फ़िराक में है। सूचना की तस्दीक करने के बाद जूटमिल चौकी के तेज़तरार थानेदार अमित शुक्ला ने अपनी टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताये गए ठिकाने शुभम राइस मिल, सहदेवपाली के पास दबिश दी। जहाँ खड़ी एक ट्रक को 500 कट्टे पीडीएस के चावल के साथ जप्त किया गया है और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही हैं।

सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिल रही हैं उसके मुताबिक खरसिया के उक्त व्यवसायी रमेश अग्रवाल का राजनीतिक कनेक्शन हैं जिसके बूतें वो बेखौंफ होकर शासकीय पीडीएस कोटे के चावल की लंबे समय से तस्करी कर रहा था हालांकि अभी इस पर जूटमिल पुलिस ने औपचारिक बयान नहीं दिया हैं। बहरहाल खबर लिखे जाने तक जूटमिल पुलिस ने रमेश अग्रवाल के खिलाफ 41, 1(4) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

शनि मंदिर से स्टेशन तक पहुंच मार्ग एवं माल धक्का पुलिया को चौड़ा करने की मांग -चेंबर

न्यायसाक्षी / रायगढ़।

छ ग चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रायगढ़ ने रायगढ़ जिलाधीश एवं निगम आयुक्त का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि यदि शनि मंदिर से सांवरिया बिल्डिंग के पीछे से होते हुए एक पहुंच मार्ग स्टेशन तक बनाया जावे तो शहर के मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कुछ कम हो जाएगा तथा मालधक्का पुलिया को चौड़ा कर दिया जाए तो जनता को इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा उल्लेखनीय है कि रेलवे पटरी केदूसरी ओर शहर की लगभग 40त्न जनता निवास करती है जो स्टेशन जाने के लिए ओवर ब्रिज या फिर शनि मंदिर वाले चक्रपथ का उपयोग करके पहले शहर के अंदर आती है और फिर मुख्य मार्ग से होते हुए स्टेशन पहुंचती है यदि यह दो कार्य हो जाएंगे तो यह 40त्न जनता का दबाव मुख्य मार्ग पर नहीं आएगा और उन्हें एक सुविधाजनक पहुंच मार्ग भी मिल जाएगा और छोटे वाहनों को संकीर्ण पुलिया की जगह चौड़ी पुलिया मिल जाएगी जिससे आवागमन और सुलभ हो जाएगा चेंबर अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल महामंत्री हीरा मोटवानी प्रदेश मंत्री राजेश अग्रवाल एक्शन कमेटी अध्यक्ष बजरंग महमिया ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए इस कार्य को शहर की विकास योजना के साथ जोड़ने की कृपा करें ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

राजस्व अधिकारी के पदस्थापना पर आपत्ति

दुर्ग। दुर्ग के मुख्य राजस्व अधिकारी चद्रकांत शर्मा को नगर पालिका सहसपुर लोहारा में पदस्थापित किए जाने को लेकर पूर्व पार्षद विंसेंट डिसोजा एवं वरिष्ठ पार्षद मदन जैन ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लिखित शिकायत छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित करते हुए कहा कि जिस कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार और गबन जैसे लंबित शिकायत हो उनको किसी भी प्रकार का शासकीय प्राधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

ग्राम नरधा के साईं कृषि सेवा केन्द्र में छापा

बलौदाबाजार (आरएनएस)। कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने शनिवार को कसडोल विकासखण्ड के ग्राम नरधा साई कृषि सेवा केंद्र में छापा मारते हुए वहां से एक्सपायरी कीटनाशक दवाईयों के साथ कई अनियमितताएं प्रकाश में आई। एक्सपायरी दवाइयां बरामद करने के साथ ही दुकान संचालक को लाइसेन्स निरस्तीकरण के लिए नोटिस थमाया गया है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय उड़नदस्ते टीम को अलर्ट मोड़ में कर दिया गया है. इस क्रम में उप संचालक कृषि वी.पी.चौबे के नेतृत्व में उड़नदस्ते ने शनिवार को ग्राम नरधा विकासखण्ड कसडोल स्थित साई कृषि सेवा केंद्र में दबिश दी. निरीक्षण के दौरान दुकान में किसान ई-स्टोर में स्टॉक बुक, निर्धारित प्रपत्र में बिल बुक तथा डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित होना नहीं पाया गया। एक्सपायरी किस्म की दवाइयां भी दुकान में बेचने के लिए रखी हुई पाई गई जो कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। दुकान के संचालक को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब तलब किया गया है।

सीसी रोड निर्माण में बरती जा रही अनियमितता मौके पर पहुंचे एसडीएम

न्यायसाक्षी / रायगढ़

नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 भद्रापारा के नहर मार्ग में लगभग एक करोड़ चार लाख की लागत से बन रहे सीसी रोड निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है जिसको लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत के कांग्रेसी पार्षदों ने अनियमितता पूर्वक लिए जा रहे निर्माण कार्य का पुरजोर विरोध करते हुए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गुप्ता को इसकी शिकायत की और नियम विरुद्ध बनाए जा रहे।

सीमेंट कांक्रीट रोड को तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की जिस पर लैलूंगा के संवेदनशील एसडीएम अभिषेक गुप्ता त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले का संज्ञान लेने निर्माण

स्थल पर पहुंचे और पाया कि निर्माणाधीन कांक्रीट रोड में नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है जिसके बाद एसडीएम ने नगर पंचायत के इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कार्य को बंद कराया जानकारी हो कि विगत 1 सप्ताह पूर्व भी एसडीएम ने अनियमितता को देखते हुए इसी काम को रुकवाया था परंतु ठेकेदार और इंजीनियर की मनमानी से कल फिर काम चालू कर दिया गया था।

निर्माणाधीन सीसी रोड की की बात करें तो एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने नगर पंचायत के इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक सीसी रोड निर्माण से पूर्व 8 इंच का मुरम और 4 इंच का डीएलसी नहीं की जाती तब तक सीसी रोड नहीं बनाया जाएगा।

उक्त नियम के अनुपालन करने के पश्चात 6 इंच का सीसी रोड बनाना था परंतु ठेकेदार और इंजीनियर की मनमानी को देखते हुए नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रविंद्र पाल सहित वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद कृष्णा जयसवालए पार्षद राजकुमार भगतए वार्ड क्रमांक 15 पार्षद ज्योति मिंज सहित अन्य पार्षदों ने उक्त निर्माण कार्य का विरोध करते हुए नियम पूर्वक कार्य करने की मांग की।

ज्ञात हो कि उक्त ठेकेदार द्वारा पूर्व मे भी लाखों के ऐसे कई निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है परंतु राजनीतिक रसूख व अधिकारिक सांठगांठ के कारण हर बार अनियमितता पूर्वक कार्य किया जाता है। वही इस संबंध में पार्षदों ने बताया कि नगर पंचायत में छोटे.मोटे कामों के लिए नियम की दुहाई देते हैं और इधर लाखों के कार्यों को नियम विरुद्ध किया जाता है।

लैलूंगा जनपद पंचायत में प्रथम बैठक संपन्न

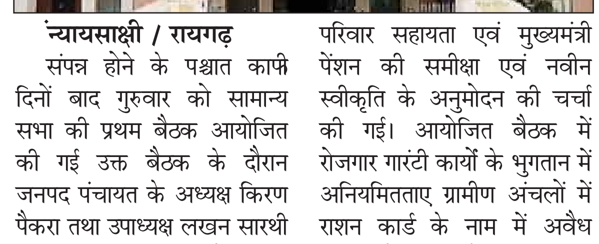

न्यायसाक्षी / रायगढ़

संपन्न होने के पश्चात काफी दिनों बाद गुरुवार को सामान्य सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई उक्त बैठक के दौरान जनपद पंचायत के अध्यक्ष किरण पैकरा तथा उपाध्यक्ष लखन सारथी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भजन साय के साथ विकास खंड क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों के साथ सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनपद पंचायत क्षेत्र के समस्त नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों का एक दूसरे से परिचय किया गया तथा सभी विभाग प्रमुखों की विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के एजेंडे में राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं मुख्यमंत्री पेंशन की समीक्षा एवं नवीन स्वीकृति के अनुमोदन की चर्चा की गई। आयोजित बैठक में रोजगार गारंटी कार्यों के भुगतान में अनियमितताए ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड के नाम में अवैध वसूली के संबंध में नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से जवाब मांगा। इसके साथ ही उपस्थित सभी विभागों जिनमें प्रमुख तौर पर वन विभागए उद्यानिकी विभाग और पशु कल्याण विभागए खाद्य विभागए स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभाग से संबंधित योजनाओं व उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी गई।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480